भूअर्जन

पत्र संख्या :- डी0 एल0 ए0 - 15/विविध -07/2001 - 1686 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के0 के0 महतो,
निदेशक, भू-अर्जन, बिहार ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
नवादा / सीवान ।

पटना - 15, दिनांक 11.12.2001

विषय :- गृह विहीनों के लिए वासगीत भूमि उपलब्ध कराने एवं सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए वांछित भूमि की पहचान कर भूमि अर्जन का प्रस्ताव भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 723/रा0 दिनांक 11.9.2001, 756 एवं 757 रा0 दिनांक 10.9.2001 के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 5/रा0 दिनांक 29.5.2001 एवं 983 दिनांक 26.7.2001 (छाया प्रति संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि आपके द्वारा भेजे गये प्रासंगिक पत्र साधारण पत्र है, न कि भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रस्ताव है । जबकि उक्त सरकारी पत्र में भू-अर्जन की कार्रवाई सम्पन्न करते हेतु भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अधियाची विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी पत्र एवं अन्य वांछित कागजात के साथ प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने का निदेश दिया गया है ।

अतः अनुरोध है कि गृह विहीनों के लिए वासगीत भूमि एवं सम्पर्क पथनिर्माण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव विधिवत प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके ।

विश्वासभाजन

(के0 के0 महतो)
निदेशक, भू-अर्जन, बिहार ।

ज्ञापांक 1686 - रा0, पटना - 15, दिनांक 11.12.2001

प्रतिलिपि सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के0 के0 महतो)
निदेशक, भू-अर्जन, बिहार ।

पत्र संख्या :- 7/विविध - 12/2000-2001 - 983 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर/वैशाली/मधुबनी/पू0 चम्पारण (मोतिहारी) /सारण/सुपौल/खगड़िया/जमुई/बक्सर/सीतामढ़ी/गोपलगंज/औरंगाबाद/समस्तीपुर/ बेगूसराय/ नवादा/सीवान एवं दरभंगा ।

पटना - 15, दिनांक 26.7.2001

विषय :- गृह विहीनों के लिये वासगीत भूमि उपलब्ध करने एवं सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए वांछित भूमि की पहचान कर भूमि अर्जन का प्रस्ताव भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि सरकारी स्वीकृत्यादेश सं0-59/रा0 निांक 16.3.2001 द्वारा आपके जिले को गृह विहीनों के लिए वासगीत भूमि उपलब्ध कराने एवं सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए राशि आवंटित की गई है ।

उक्त पत्र के क्रम में सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त उद्देश्य हेतु वांछित भूमि की पहचान एवं चिन्हित कर भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत आपातकालीन प्रक्रिया के अनुरूप भूमि-अर्जन की कारवाई कर भूमि अधिग्रहित किये जायें ।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के क्रम में लाभान्वितों के चयन में निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है ।

(क) रैयती जमीन पर विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति (Previleged Person) के रूप मे निवास कर रहे व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सुयोग्य श्रेणी के लोगों का चयन किया जाय ।

(ख) सुयोग्य श्रेणी के लोगों को रहने के लिए गृह स्थल हेतु सरकारी भूमि कहीं आसपास में उपलब्ध नहीं हो तब उनके लिए विहित मापदंड के अनुसार भू-अर्जन किया जाय ।

(ग) ऐसे सुयोग्य श्रेणी के लोगों को केवल जमीन अर्जित कर गृह स्थल उपलब्ध कराने के सिवा कोई और विकल्प नहीं हो तब ही भू-अर्जन की कार्रवाई की जाय ।

पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में आपातकालीन प्रक्रिया (Emergency Procedure) के तहत वांछित प्रस्ताव पन्द्रह दिनों के अंदर निदेशक भू-अर्जन को भेजे जायें ।

आपसे यह भी अनुरोध है कि जिले के अंतर्गत सिविल डिपोजिट में इस मदकी जमा की गई राशि की विमुक्ति हेतु प्रस्ताव कोषागार चालान के साथ विभागों को अविलम्ब भेजने की कृपा की जाय । ताकि वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर राशि की निकासी की जा सके ।

विश्वासभाजन

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 983 - रा0, पटना - 15, दिनांक 26.7.2001

प्रतिलिपि सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

बिहार सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या- 1217 पटना, दिनांक 28.9.96

राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय में भू-अर्जन से सम्बन्धित, अल्प मूल्यवाले, अनेक मामले प्रथम अपील के रूप में लम्बी अवधि से निष्पादनार्थ लम्बित हैं । इस विषय-वस्तु पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील के रूप में भू-अर्जन से सम्बन्धित जो भी मामले लम्बित है और जिनमें सन्निहित कुल राशि 25,000/- रूपयों से अधिक नहीं है, वैसे सभी मामलों को तात्कालिक प्रभाव से वापस ले लिया जाय या आवश्यकतानुसार उनमें सम्बन्धित पक्षों के साथ सुलहनामा कर लिया जाय । इसका तात्पर्य यह नही होगा कि सम्बन्धित मामलों में तय की गई मुआवजा की राशि अन्य मामलों के लिये भी पूर्वोद्धारण स्वरुप उपयोग की जा सकेगी । अन्य मामलों पर निर्णय प्रत्येक मामले की अपनी मेरिट पर लिया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सत्यदेव सिंह)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 1217 - रा0, पटना - 15, दिनांक 28.9.96

प्रतिलिपि सभी आयुक्त एवं जिला पदाधिकारिों को सूचनार्थ अग्रसारित ।

(सत्यदेव सिंह)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 1217 - रा0, पटना - 15, दिनांक 28.9.96

प्रतिलिपि अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कि वे इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित करने की कृपा करें और प्रकाशित अधिसूचना की 500 (पांच सौ) प्रतियां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को तुरन्त उपलब्ध करा दें ।

(सत्यदेव सिंह)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 1217 - रा0, पटना - 15, दिनांक 28.9.96

प्रतिलिपि महाधिवक्ता, बिहार, को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित कि वे यथा उपर्युक्त अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाई करने की कृपा करें।

(सत्यदेव सिंह)
सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या :- 14/डी0 एल0 ए0 मु0 मधेपुरा - 23/2001 - 1520 /रा०,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन,

आयुक्त एवं सचिव,

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 31.10.2001

विषय :- विभागीयपरिपत्र सं0 987 दिनांक 30.5.91 तथा पत्रांक 250 दिनांक 26.3.99 को दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0 987 दिनांक 30.5.91 का प्रसंग किया जाय, जिसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया था कि जब तक अधियाची विभाग से भू-अर्जन मद में मुआवजा की सम्भावित आवकलित राशि जमा नहीं करायी जाती है तब तक पंचाट की घोषणा नहीं की जाय । अत: ऐसे मामलों में सभी औपचारिकता पूरा किए बिना प्रश्नगत भूमि का दखल अधियाची विभाग को दिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता था ।

इसी संदर्भ में विभागीय पत्रांक - 250 दिनांक 26.3.99 द्वारा निर्गत परिपत्र का भी प्रसंग किया जाय जिसमें पुन: यह स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया था कि आपात प्रक्रिया के अधीन भू-अर्जन के मामले में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-7 एवं 17 (1) में प्रस्ताव भेजने के पूर्व एवं साधारण प्रक्रिया के अधीन पंचाट घोषणा के पूर्व अधियाची विभाग से मुआवजा की पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात ही भू-अर्जन की अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय एवं किसी भी परिस्थिति में उक्त अनुदेश के अनुपालन में शिथिलता नहीं बरती जाय । लेकिन ऐसा कई दृष्टात सरकार के समक्ष आ रहे है जिसमें अधियाची विभाग द्वारा मुआवजा की राशि जमा नहीं कराई गई है और मुआवजा के भुगतान किये वगैर रैयतों की जमीन अधि ग्रहीत कर ली गई है और ऐसे कई मामले माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया है जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अत्यंत ही गम्भीरता से लिया गया है ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त दोनों परिपत्रों मे निहित अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ताकि भू-धारियों को मुआवजा के भुगतान पाने में कोई कठिनाई न हों ।

विश्वासभाजन

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 1520- रा0, पटना - 15, दिनांक 31.10.2001

प्रतिलिपि निदेशक, भू-अर्जन बिहार, पटना/निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना/सभी अपर समाहर्ता/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के0 ए0 एच0 सुब्रमणियन)
आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या :- डी0 एल0 ए0 नीति - 6/99 - 250 /रा0,

बिहार सरकार,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री डी0 पी0 महेश्वरी

आयुक्त एवं सचिव,

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता/उपायुक्त ।

पटना - 15, दिनांक 26.3.99

विषय :- भू-अर्जन मामलों मे बिना मुआवजा भुगतान के अधियाची विभाग को अर्जनाधीन भूमि पर अधिपत्त सौंपने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपका व्यक्तिगत ध्यान विभाग द्वारा इस संबंध में निर्गत पूर्व निदेश पत्रांक 1330 रा0 दिनांक 26.7.91 की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकार को अभी भी विभिन्न श्रोतों से इस प्रकार को सूचनायें एवं शिकायतें मिलती हैं कि अनेकों भू-अर्जन के मामलों में प्रभावित रैयतों को बिना भू-अर्जन के मुआवजा के भुगतान किये ही अधियची विभाग को अर्जनाधीन भूमि पर आधिपत्य सौंप दिये गये हैं; जिसके फलस्वरुप भू-धारियों को मुआवजा के लंबित भुगतान के लिए अपार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । भू-धारियों को बाध्य होकर न्यायालय का शरण लेना पड़ता है न्यायालय द्वारा सरकार के विरूद्ध कठोर टिप्पणी की जाती है जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है । ऐसी स्थिति सरकार के लिए अत्यन्त सोचनीय एवं दु:खद है । अर्जनाधीन भूमि का आधिपत्य के पूर्व मुआवजा के भुगतान नहीं होने के कारण न्यायालय के आदेश के फलस्वरुप सरकार को मुआवजा के अलावा बड़ी राशि भीसूद के रूप में भुगतान करना पड़ता है ।

सरकार ऐसा महसुस करती है कि इस संबंध में स्पष्ट सरकारी निदेश के बावजुद ऐसे मामलों के अंतिम निस्तार के लिए समाहर्त्ता द्वारा यथोचित कार्रवाई प्रभावी ढंग से नहीं किये जा रहे हैं । अतएव सरकार पुन: यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि ऐसे मामले के लिए समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सामान रूप से जिम्मेदार माने जायेंगे जिनके कार्यकाल में मुआवजा भुगतान किये बिना भूमि पर अधिपत्य सौंपे गये । वैसे अधिकारियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनसे सूद की राशि वसूलने का कठोर कदम भी सरकार उठाने को बाध्य हो सकती हैं ।

अतएव भू-अर्जन के मामले में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अधियाची विभाग द्वारा अधियाचना दायर करने के पश्चात आपात प्रक्रिया के अधीन भू-अर्जन के मामले में भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 एवं 17 (1) में प्रस्ताव भेजने के पूर्व अधियाची विभाग से मुआवजा की प्राक्कलित संभावित राशि एवं साधारण प्रक्रिया के अधीन पंचाट घोषणा के पूर्व मुआवजा की पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात ही भू-अर्जन की अगेत्तर कार्रवाई की जाय । किसी भी परिस्थिति में इस अनुदेश के अनुपालन में शिथिलता नहीं बरती जाय ।

इस प्रकार के भू-अर्जन के मामलों में प्रभावित भू-धारियों को मुआवजे की राशि भुगतान करने के लिए सरकार चिन्तित है । अतएव अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रपत्र में विस्तृत विवरणी 15 अप्रैल 99 तक निश्चित रूप से सरकार को भेजी जाय, साथ ही साथ जिला स्तर पर समाहर्त्ता अधियाची विभाग के सम्बद्ध पदाधिकारियों को बैठक बुलाकर मुआवजा भुगतान के लिए राशि उपलब्ध कराने हेतु उनपर विशेष दबाव डालकर तदनुसार की गई कारवाई से सरकार को भी अवगत कराया जाय ।

कृपया सरकार के स्पष्ट निदेश से सभी अधिनस्थ पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय ।

विश्वासभाजन

(डी0 पी0 महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापांक 250- रा0, पटना - 15, दिनांक 26.3.99

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्वाई हेतु प्रेषित ।

(डी0 पी0 महेश्वरी)
आयुक्त एवं सचिव ।

भू-अर्जन द्वारा अर्जित भूमि के लंबित मुआवजा भुगतान की विवरणी

अधियाची विभाग का नाम	अधिसूचना का वर्ष	कुल अधियाचित एवं अर्जित रकबा	पंचाट घोषित की तिथि	आधिपत्य सौंपने की तिथि
1	2	3	4	5

अर्जन की प्रक्रिया आपात/ साधारण	मुआवजे की पंचाटित राशि	परियोजना का नाम	सूद की राशि यदि कोई हो	जयघोष राशि यदि कोई हो	कुल राशि	भुगतान की गयी राशि	बकाया राशि	अधियाची विभाग से प्राप्त राशि	भुगतान लंबित रहने का कारण संक्षेप में	न्यायालय में विचाराधीन मामला	अभियुक्तियाँ
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17